19/02/18

पत्रावली प्रार्थीगण हेतुबहस के लिए नियत थी। विपक्षी वकील पक्ष होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है तथा पत्रावली नहीं चाहते हैं तथा विद्वान [illegible] [illegible] वकील अधिवक्ता की अनुरूपण वकील अधिवक्ता श्री शंकरलाल प्रस्तुत की गयी। अतः प्रार्थीगण/पक्षकार के निवेदन पर तथा अधिवक्ता विद्वान [illegible] लोग के आदेश किये जाते हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

ह.सि. हस्ताक्षर
12-01-22